न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कामाँ (डीग)

पीठासीन अधिकारी दिनेश शर्मा आर0ए0एस

मुकदमा नं0 16/2024

1. सत्तार
2. सपात
3. लल्लू

पिसरान अल्लाबक्स जाति फकीर निवासी ग्राम गुण्डगांव तहसील कामां जिला डीग राजस्थान।

4. नवाव
5. मुनफेद
6. हवीव

पिसरान याकूब जाति फकीर निवासी ग्राम गुण्डगांव तहसील कामां जिला डीग राजस्थान।

प्रार्थीगण

बनाम

01. श्रीमान तहसीलदार साहब तहसील कार्यालय कामाँ
02. हफीजन पत्नी इब्राहीम जाति फकीर निवासी ग्राम गुण्डगांव तहसील कामां जिला डीग राजस्थान।

03. शरीफ
04. कुर्शीद
05. इदरीश
06. लियाकत

पिसरान इब्राहिम जाति फकीर निवासी ग्राम गुण्डगांव तहसील कामां जिला डीग राजस्थान।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128, 136
राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956

उपस्थित अधिवक्ता :– श्री रूपसिंह यादव प्रार्थीगण

निर्णय

दिनांक :– 27/12/2024

प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 व 136 भू–राजस्व अधिनियम–1956 के तहत विरूद्ध अप्रार्थीगण के इस आशय का पेश किया कि आराजी भूमि साविक खसरा नम्बर 808/404/0.21, 809/404/0.22 हैक्टेयर बाके ग्राम गुण्डगांव तहसील कामां में स्थित है। जिसके बन्दोवस्त विभाग द्वारा खसरा नम्बर 239/0.21, 240/0.22 हैक्टेयर कायम किये हैं। नकल जमाबन्दी संवत् 2070 लगायत 2073 किता–02, नकल जमाबन्दी बन्दोवस्त संवत् 2074–77 किता–2 मिलान क्षेत्रफल, नकल नक्शा ट्रेस साविक खसरा नम्बर, नकल नक्शा ट्रेश हाल खसरा नम्बर प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। साविक खसरा नम्बर 404/0.43 हैक्टेयर बांके ग्राम गुण्डगांव तहसील कामां अल्लाबक्स, इब्राहीम पिसरान रहीम खां जाति फकीर निवासी गुण्डगांव तहसील कामां का वाहिस्सा बराबर का रकबा था जिसका बंटवारा सन् 1994 में न्यायालय सहायक कलक्टर कामां द्वारा विभाजन की डिकी से हुआ था। डिकी सहायक कलक्टर कामां की पालना में विभाजन का नामान्तरकरण संख्या 452 पटवारी हल्का द्वारा खोला गया नामान्तरकरण की पुश्त पर खसरा नम्बर 404 दो जगह बटा प्रार्थीगण के पिता अल्लाबक्स को खसरा नम्बर 404 में से 01 बीघा 06 बिस्वा वातरफ उत्तर दिया गया तथा अप्रार्थी संख्याप 02 लगायत 06 को खसरा नम्बर 404 में से 01 बीघा 07 बिस्वा वातरफ दक्षिण दिया गया मुताबिक विभाजन के प्रार्थीगण के पिता अल्लाबक्स वातरफ उत्तर पर काबिज हो गया और इसी कदर मौके पर इस वक्त प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 02 लगायत 06 का कब्जा काश्त है। नामान्तरकरण संख्या 452 की नकल संलग्न है। अल्लाबक्स पुत्र रहीम खां का स्वर्गवास हो चुका है जिसके वारिसान प्रार्थना पत्र में प्रार्थी हैं तथा इब्राहिम पुत्र रहीम खां का भी स्वर्गवास हो चुका है। राजस्व रिकॉर्ड में इब्राहिम की विरासत का नामान्तरकरण नहीं हुआ

उपखण्ड अधिकारी
कामाँ (डीग) राज०

है उसके स्थान पर मृतक इब्राहिम के वारिसान अप्रार्थीगण संख्या 02 लगायत 06 को पक्षकार मुकदमा बनाया गया है। साविक खसरा नम्बर 808/404/0.21 प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की आराजी भूमि है जिसका बन्दोवस्त विभाग द्वारा नया नम्बर 239/0.21 कायम किया है जो उत्तर दिशा में स्थित है। जिस पर प्राथीगण वाहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज रहकर निरन्तर रूप से काश्त करते चले आ रहे हैं। अप्रार्थी संख्या 02 लगायत 06 का साविक खसरा नम्बर 809/404/0.22 हैक्टेयर जिसका नवीन खसरा नम्बर 240/0.22 हैक्टेयर है जो प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि के खसरा नम्बर 239 के दक्षिण दिशा में स्थित है। वन्दोवस्त विभाग द्वारा साविक खसरा नम्बरान 808/404/0.21, 809/404/0.22 के नये खसरा नम्बरान कायम करते समय तैयार किये गये नक्शे में बन्दोवस्त विभाग के कर्मचारियों द्वारा लापरवाही पूर्ण तरीके से अप्रार्थीगण संख्या 02 लगायत 06 के नये खसरा नम्बर 240 को उत्तर दिशा में गलत दर्ज कर दिया है जबकि अप्रार्थीगण का उक्त खसरा नम्बर 240 प्रार्थीगण के खसरा नम्बर 239 के दक्षिण दिशा में स्थित है तथा मौके पर अप्रार्थीगण का कब्जा भी प्रार्थीगण के खसरा नम्बर के दक्षिण में है। उक्त गलत इन्द्राज की जानकारी नकल दस्तावेज 11/12/2023 को हुई। इससे पूर्व कोई जानकारी नहीं थी। प्रार्थीगण को सख्त हक तलफी हो रही है। विधि वजह प्रार्थीगण बन्दोवस्त विभाग द्वारा गलत तैयार किये गये नये नक्शे में अप्रार्थीगण के खसरा नम्बर 239 को मौका व कब्जानुसार दुरूस्त करा पाने के अधिकारी है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर बन्दोवस्त विभाग द्वारा तैयार किये गये नये नक्शे को संशोधित किया जावे कि अप्रार्थीगण के खसरा नम्बर 240 को प्रार्थीगण के खसरा नम्बर 239 में से संशोधित कर हाल मौका कब्जा व नामान्तरकरण संख्या 452 के अनुसार खसरा नम्बर 240 को प्रार्थीगण के खसरा नम्बर 239 के दक्षिण में स्थापित किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 02 लगायत 06 की रजिस्टर्ड डाक से तलवी किये जाने के बावजूद उपस्थित नहीं होने पर दिनांक 21.06.2024 को अप्रार्थी संख्या 02 लगायत 06 के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है। शेष अप्रार्थी संख्या 01 तहसीलदार कामां द्वारा अपने पत्र कमांक/भू0अ0/2024/634 दिनांक 29.04.2024 से प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी की मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसमें साविक आराजी खसरा नम्बर 404 रकबा 0.43 हैक्टैयर था जिसका जरिये विभाजन (डिकी) 808/404/0.21 व 809/404/0.22 बनाये गये। भू-प्रबंध विभाग द्वारा 239/0.21 व 240/0.22 बनाये गये। नवीन नक्शा में अंकित 239 व 240 में एवं मौका के अनुसार भिन्नता है। जिसमें पटवारी हल्का गुण्डगांव की राजस्व रिकॉर्ड एवं मौका की रिपोर्ट निम्न प्रकार है। ग्राम गुण्डगांव के साविक आराजी खसरा नम्बर 808/404/0.21 हैक्टेयर व 809/404/0.22 हैक्टेयर जिनके भू-प्रबंध विभाग के द्वारा आराजी खसरा नम्बर 239/0.21 व 240/0.22 हैक्टेयर बनाये गये। साविक आराजी खसरा नम्बर 404/0.43 हैक्टेयर बाके ग्राम गुण्डगांव में पूर्व में अल्लाबक्स, इब्राहिम पिसरान रहीमखां जाति फकीर निवासी ग्राम गुण्डगांव का वाहिस्सा बराबर दर्ज रिकॉर्ड है। दाखिल खारिज संख्या 452 किस्म डिकी 18.10.1994 वाके ग्राम गुण्डगांव से साविक खसरा नम्बर 404/0.43 हैक्टेयर को दो हिस्सों में विभाजित किया गया। जिसमें एक हिस्सा 01 बीघा 06 बिस्वा वातरफ उत्तर अल्लाबक्स पुत्र रहीम खां एवं दूसरा हिस्सा 01 बीघा 07 बिस्वा वातरफ दक्षिण इब्राहिम पुत्र रहीम खां के नाम स्वीकृत हुआ। साविक आराजी खसरा नम्बर 808/404/0.21 सत्तार सायल वगैरा की कब्जे काश्त में है जिसका बन्दोवस्त विभाग द्वारा हाल नम्बर 239/0.21 हैक्टेयर बनाया है जो आराजी खसरा नम्बर 240 के दक्षिण में स्थित है एवं साविक खसरा नम्बर 809/404/0.22 शरीफ, कुर्शीद वगैरा के कब्जे काश्त में है। जिसका बन्दोवस्त विभाग के द्वारा हाल नम्बर 240/0.22 बनाया है जो आराजी खसरा नम्बर 239 के उत्तर दिशा में है जो मुताबिक कब्जा काश्त के सही नहीं है। बन्दोवस्त विभाग द्वारा साविक खसरा नम्बर 808/404 रकबा 0.21 हैक्टेयर व 809/404 रकबा 0.22 हैक्टेयर के नये खसरा नम्बरान नक्शाशीट में बनाते समय खसरा नम्बर 239/0.21 हैक्टेयर को खसरा नम्बर 240 के दक्षिण में व खसरा नम्बर 240/0.22 को खसरा नम्बर 239 के उत्तर में गलत इन्द्राज किया गया है जबकि मौके पर कब्जे अनुसार व डिकी

उपखण्ड अधिकारी
कामाँ (डीग) राज०

नामान्तरकरण के आराजी खसरा नम्बर 239/0.21 व खसरा नम्बर 240 के उत्तर में व खसरा नम्बर 240/0.22 खसरा नम्बर 239 के दक्षिण में कायम होना चाहिए।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया जाकर मनन किया गया तथा प्रार्थीगण अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में पार्थना पत्र में लिखित तथ्यों को दोहराया कि साविक आराजी खसरा नम्बर 404/0.43 हैक्टेयर बाके ग्राम गुण्डगांव में पूर्व में अल्लाबक्स, इब्राहिम पिसरान रहीमखां जाति फकीर निवासी ग्राम गुण्डगांव का वाहिस्सा बराबर दर्ज रिकॉर्ड था जिसका दाखिल खारिज संख्या 452 किस्म डिकी 18.10.1994 वाके ग्राम गुण्डगांव से साविक खसरा नम्बर 404/0.43 हैक्टेयर को दो हिस्सों में विभाजित किया जाकर एक हिस्सा 01 बीघा 06 बिस्वा वातरफ उत्तर अल्लाबक्स पुत्र रहीम खां एवं दूसरा हिस्सा 01 बीघा 07 बिस्वा वातरफ दक्षिण इब्राहिम पुत्र रहीम खां के नाम स्वीकृत किया जाकर वन्दोवस्त विभाग द्वारा साविक खसरा नम्बरान 808/404/0.21, 809/404/0.22 के नये खसरा नम्बरान कायम किये गये जिसमें बन्दोवस्त विभाग द्वारा तैयार किये गये नक्शे में लापरवाही पूर्ण तरीके से अप्रार्थीगण संख्या 02 लगायत 06 के नये खसरा नम्बर 240 को उत्तर दिशा में गलत दर्ज कर दिया है जबकि अप्रार्थीगण का उक्त खसरा नम्बर 240 प्रार्थीगण के खसरा नम्बर 239 के दक्षिण दिशा में स्थित है तथा मौके पर अप्रार्थीगण का कब्जा भी प्रार्थीगण के खसरा नम्बर के दक्षिण में है। जिसे मुताबिक मौका व कब्जानुसार शुद्व किये जाने के आदेश फरमाये जावे तथा तहसीलदार कामां से प्राप्त रिपोर्ट में साविक खसरा नम्बर 808/404 रकबा 0.21 हैक्टेयर व 809/404 रकबा 0.22 हैक्टेयर के नये खसरा नम्बरान नक्शाशीट में बनाते समय खसरा नम्बर 239/0.21 हैक्टेयर को खसरा नम्बर 240 के दक्षिण में व खसरा नम्बर 240/0.22 को खसरा नम्बर 239 के उत्तर में गलत इन्द्राज किया गया है जबकि मौके पर कब्जे अनुसार आराजी खसरा नम्बर 239/0.21 आराजी खसरा नम्बर 240 के उत्तर में व खसरा नम्बर 240/0.22 आराजी खसरा नम्बर 239 के दक्षिण में कायम किये जाने की अनुशंषा किये जाने की अभिशंषा के आधार पर शुद्व किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः आज्ञा है कि :–

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 111, 128, 136 भू–राजस्व अधिनियम–1956 को स्वीकार किया जाकर ग्राम गुण्डगांव तहसील कामां की आराजी खसरा नम्बर 239/0.21 आराजी खसरा नम्बर 240 के उत्तर में व खसरा नम्बर 240/0.22 आराजी खसरा नम्बर 239 के दक्षिण में दर्ज कर तहसीलदार कामाँ से प्राप्त नक्शा ट्रेश अनुसार संशोधित किया जावे। उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती किये जाने हेतु तहसीलदार कामां को निर्णय प्रति पालनार्थ भेजी जावें।

निर्णय आज दिनांक 27/12/2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश शर्मा)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
कामाँ (डीग)

उपखण्ड अधिकारी
कामाँ (डीग) राज०